www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-7* *July 2025***

भारतीय राजनीति में एक राष्ट्र, एक चुनावः संभावनाएं एवं सीमाएं

डॉ0 रवि कान्त शुक्ल

सहायक आचार्य, लोक प्रषासन विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

शोध सारांश–

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ संपन्न कराना है, ताकि बार–बार होने वाले चुनावों से उत्पन्न समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की अधिक खपत को कम किया जा सके। इस व्यवस्था से चुनावी खर्च में कमी आएगी, नीति–निर्माण पर ध्यान केंद्रित होगा तथा शासन की स्थिरता बढ़ेगी। हालाँकि, इस प्रस्ताव के सामने कई चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। सबसे बड़ी सीमा यह है कि राज्यों और केंद्र की सरकारों का कार्यकाल हमेशा समान नहीं होता। किसी सरकार के समयपूर्व पतन की स्थिति में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा जटिल हो सकती है। साथ ही, संघीय ढांचे की दृष्टि से राज्यों की स्वायत्तता पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि सभी राज्यों को एक ही चुनावी प्रक्रिया में बाँधना संघीय संतुलन के लिए चुनौतीपूर्ण है। तकनीकी, संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के बिना इस विचार को व्यावहारिक रूप से लागू करना कठिन होगा। अतः 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' भारतीय राजनीति में चुनावी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो शासन व्यवस्था को अधिक दक्ष और प्रभावी बना सकती है।

Keyword– एक राष्ट्र एक चुनाव, भारतीय राजनीति, चुनावी सुधार, शासन स्थिरता, संघीय ढांचा।

प्रस्तावना–

भारत एक विशाल और जीवंत लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आत्मा हैं। वर्तमान में, लोकसभा, राज्य विधानसभाएँ तथा स्थानीय निकायों के चुनाव अलग–अलग समय पर होते हैं, जिससे सरकार, प्रशासन और जनता पर बार–बार चुनाव का बोझ पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के रूप में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (व्दम छंजपवदए व्दम म्समबजपवद) की अवधारणा सामने आई है। इसका उद्देश्य पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना है, जिससे समय, धन और संसाधनों की बचत हो और नीति निर्माण में निरंतरता बनी रहे। यह विचार कोई नया नहीं है; स्वतंत्रता के बाद भारत में 1951–52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। परंतु समय के साथ सरकारों के अस्थिर होने और असामयिक विघटन के कारण यह व्यवस्था टूट गई।

तब से अब तक देश में लगभग हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिससे शासन में रुकावट आती है और भारी खर्च होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (भ्पही.स्मअमस ब्वउउपजजमम) गठित की, जिसने मार्च 2024 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। जिसमें व्यापक परामर्श के बाद एक राष्ट्र, एक चुनाव की सिफारिश की गई। समिति ने चुनावों को दो चरणों में एक साथ कराने की सलाह दी–पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, और फिर 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव। समिति ने संवैधानिक और कानूनी संशोधनों की भी अनुशंसा की ताकि यह व्यवस्था संभव हो सके। रिपोर्ट के अनुसार, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, नीति निर्धारण में स्थिरता आएगी और सरकारी खर्च में भारी कटौती होगी।

मार्च 2024 में सरकार ने "129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024" संसद में पेश किया। इसमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, और 328 में संशोधन तथा नया अनुच्छेद 82। जोड़ने का प्रस्ताव है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और सभी विधानसभाओं के कार्यकाल को समकालीन बनाना है। हालांकि यह विधेयक अभी संसद में पारित नहीं हुआ है और इसे संयुक्त संसदीय समिति (श्रच्ब्) को भेजा गया है।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" कराने का प्रमुख कारण चुनावी प्रक्रिया में होने वाला व्यय और संसाधनों की खपत इसका सबसे प्रमुख पहलू है। निर्वाचन आयोग के आँकड़ों के अनुसार, 2024 के आम चुनाव पर लगभग 1,35,000 करोड़ से अधिक तथा 2019 के आम चुनाव पर लगभग ध्60,000 करोड़ से अधिक खर्च हुआ, जो 2014 के चुनाव (ध्30,000 करोड़ अनुमानित) की तुलना में अधिक है। इसी प्रकार, विभिन्न राज्यों में अलग–अलग समय पर चुनाव कराए जाने से हर बार करोड़ों रुपये का व्यय होता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चुनाव में लाखों सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षक तैनात किए जाते हैं।

बार–बार होने वाले चुनावों का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी देखा गया है। चुनावी आचार संहिता लागू होने से विकास योजनाओं और नीतिगत निर्णयों पर रोक लग जाती है। नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, बार–बार चुनावी प्रक्रिया से नीति–निर्माण और कार्यान्वयन की गति प्रभावित होती है।

इसके अतिरिक्त, निरंतर चुनावी माहौल में राजनीतिक दल अल्पकालिक लोकलुभावन नीतियों को प्राथमिकता देते हैं। यदि चुनाव एक साथ हों, तो वे दीर्घकालिक नीतियों और राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक गंभीरता से ध्यान देंगे। साथ ही, जनता को भी बार–बार चुनावों से जुड़ी असुविधाओं (जैसे बार–बार मतदान केंद्रों पर जाना, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान आदि) से राहत मिलेगी।

भारत के संघीय ढाँचे में विभिन्न राज्यों की सरकारों का कार्यकाल अलग–अलग समय पर समाप्त होता है। यदि किसी राज्य की सरकार समयपूर्व गिर जाती है, तो "एक साथ चुनाव" की अवधारणा को लागू करना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा, इसे लागू करने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन आवश्यक है। लॉ कमीशन (2018) की रिपोर्ट ने भी इसे व्यवहार्य माना, परंतु व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता बताई।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" भारतीय राजनीति में चुनावी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह न केवल संसाधनों की बचत करेगा, बल्कि शासन की स्थिरता और नीति–निर्माण की प्रभावशीलता को भी बढ़ाएगा। किंतु इसके लिए संवैधानिक सुधार, राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति और ठोस प्रशासनिक तैयारी अनिवार्य है।

साहित्य समीक्षा–

भारतीय राजनीति में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विषय पर विद्वानों, नीति–निर्माताओं और निर्वाचन सुधार विशेषज्ञों ने गहन विमर्श किया है। कई शोधार्थियों का मत है कि यह व्यवस्था चुनावी खर्च, प्रशासनिक बोझ और बार–बार लगने वाले आचार संहिता से होने वाले विकास कार्यों के ठहराव को कम कर सकती है (नीति आयोग, 2017)। चुनाव आयोग की रिपोर्टें भी संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और मतदाता थकान की समस्या को रेखांकित करती हैं। वहीं आलोचकों का तर्क है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और संघीय ढांचे वाले देश में सभी विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना व्यवहारिक दृष्टि से कठिन होगा (कुमार, 2020)। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता प्रभावित होने का भी खतरा है। हाल के वर्षों के लेखन इस विषय को संभावनाओं एवं सीमाओं के द्वंद्व में देखते हैं–जहां एक ओर सुशासन और स्थिरता की संभावना है, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक जटिलताओं और राजनीतिक असमानताओं की चुनौती भी मौजूद है।

शोध का उद्देश्य–

इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा का गहन विश्लेषण करना है। इसका लक्ष्य है–

1. चुनावी प्रणाली में इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से उत्पन्न संभावनाओं, जैसे–खर्च में कमी, प्रशासनिक दक्षता और नीति–निरंतरता का मूल्यांकन करना।
2. संघीय ढाँचे, संवैधानिक प्रावधानों तथा राज्यों की स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों को समझना।
3. हाल के चुनावी डाटा और रिपोर्टों के आधार पर इसकी व्यवहारिकता तथा चुनौतियों की पहचान करना।
4. लोकतंत्र, मतदाता सहभागिता और शासन–प्रक्रिया पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध पद्धति–

इस शोध में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है। शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है द्वितीयक स्रोतों में चुनाव आयोग, नीति आयोग और विधि आयोग की रिपोर्टें तथा हाल के चुनावी आँकड़े, शोध लेख, पुस्तकें और समाचार–पत्रों का उपयोग किया गया है। 2014 से 2024 तक के लोकसभा व विधानसभा चुनावों के डाटा का तुलनात्मक अध्ययन कर चुनावी खर्च, संसाधन उपयोग और मतदाता सहभागिता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। गुणात्मक विश्लेषण के माध्यम से विशेषज्ञों के विचार और लोकतांत्रिक ढाँचे पर इसके प्रभावों को समझने का प्रयास किया गया है।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा–

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढाँचा है, जहाँ लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। वर्तमान व्यवस्था में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग–अलग समय पर संपन्न होते हैं, जिसके कारण चुनावी खर्च, प्रशासनिक बोझ और बार–बार आचार संहिता लागू होने जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। इसी संदर्भ में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा उभरकर सामने आई है। इसका आशय है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएँ, ताकि देश में बार–बार चुनाव कराने की आवश्यकता समाप्त हो सके।

इस अवधारणा का तर्क है कि बार–बार होने वाले चुनावों से विकास कार्य बाधित होते हैं, क्योंकि आचार संहिता के दौरान नई योजनाएँ लागू नहीं हो पातीं। साथ ही, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक मशीनरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। नीति आयोग (2017) और विधि आयोग (2018) की रिपोर्टों में उल्लेख है कि यदि एक साथ चुनाव कराए जाएँ तो चुनावी खर्च में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है और प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। इसके अलावा, यह व्यवस्था शासन की स्थिरता और नीति–निर्माण की निरंतरता को भी प्रोत्साहित कर सकती है।

भारत एक विविधतापूर्ण और संघीय ढाँचे वाला देश है, जहाँ विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग–अलग समय पर समाप्त होता है। ऐसे में सभी चुनाव एक साथ कराना संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टि से कठिन होगा। इसके लिए संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन की आवश्यकता होगी। आलोचकों का तर्क है कि इससे राज्यों की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और केंद्र के प्रभाव में राज्यों की राजनीति कमजोर हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में ही समाप्त हो जाए तो उस स्थिति में क्या दोबारा पूरे देश में चुनाव होंगे या केवल उस राज्य मेंकृयह एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही, भारतीय मतदाताओं की संख्या, भौगोलिक विविधता और संसाधनों की उपलब्धता भी व्यावहारिक अड़चनें उत्पन्न कर सकती हैं।

एक राष्ट्र, एक चुनाव" के क्रियान्वयन से उत्पन्न संभावनाएँ–

भारतीय लोकतंत्र में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा लंबे समय से बहस का विषय रही है। यदि इसे व्यवहार में लाया जाता है, तो इससे कई संभावनाएँ और सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।

सबसे पहले, चुनावी खर्च में उल्लेखनीय कमी इसकी सबसे बड़ी संभावना है। वर्तमान व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग–अलग समय पर होते हैं, जिससे राजनीतिक दलों और सरकारों को बार–बार प्रचार अभियानों पर भारी खर्च करना पड़ता है।

दूसरा, प्रशासनिक और सुरक्षा संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। बार–बार चुनाव कराने में लाखों कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है, जिससे अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। एकसाथ चुनाव से इस बोझ को कम किया जा सकता है और संसाधनों का कुशल प्रबंधन हो सकेगा।

तीसरा, विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित होगी। बार–बार लागू होने वाली आचार संहिता के कारण सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं में ठहराव आ जाता है। एक साथ चुनाव होने से आचार संहिता बार–बार लागू नहीं होगी और योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन संभव होगा।

चौथा, लोकतांत्रिक स्थिरता और नीति–निरंतरता की संभावना बढ़ेगी। बार–बार चुनावी राजनीति से सरकारें अल्पकालिक और लोकलुभावन फैसले लेने के लिए बाध्य होती हैं। यदि एक साथ चुनाव होंगे तो सरकारों के पास दीर्घकालिक नीतियाँ बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का समय मिलेगा।

पाँचवाँ, मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बार–बार चुनावों से उत्पन्न मतदाता थकान (टवजमत थ्जपहनम) की समस्या दूर होगी और मतदाता अधिक जिम्मेदारी और सजगता के साथ मतदान कर सकेंगे। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ने और लोकतांत्रिक भागीदारी सुदृढ़ होने की संभावना है।

छठा, राजनीतिक स्थिरता की संभावना भी प्रबल होगी। यदि केंद्र और राज्यों में चुनाव एक साथ हों तो गठबंधन की राजनीति पर भी नियंत्रण संभव है और सरकारें अपने पूरे कार्यकाल तक टिक सकेंगी।

सातवाँ, चुनाव सुधार की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हो सकता है। इससे चुनाव प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल और किफायती बन सकती है।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" केवल चुनावी खर्च घटाने का उपाय नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की दक्षता, नीति–निरंतरता और शासन की स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संभावना प्रस्तुत करता है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए तो यह भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी सुधार सिद्ध हो सकता है।

संघीय ढाँचे, संवैधानिक प्रावधानों तथा राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव–

भारत का शासन तंत्र संघीय ढाँचे पर आधारित है, जहाँ संविधान ने केंद्र और राज्यों को अलग–अलग विषयों पर विधायी तथा कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की हैं। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा इस संघीय ढाँचे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती है।

सबसे पहले, राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग–अलग समय पर समाप्त होता है। ऐसे में सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा। संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं का पाँच वर्ष का कार्यकाल निर्धारित है। यदि किसी राज्य की विधानसभा बीच में भंग हो जाए या केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा न हो पाए, तो पूरे देश में दोबारा चुनाव कराना संघीय ढाँचे की दृष्टि से जटिल स्थिति पैदा करेगा।

दूसरा, यह व्यवस्था राज्यों की स्वायत्तता पर भी असर डाल सकती है। वर्तमान में राज्यों के पास अपने राजनीतिक चक्र और चुनावी मुद्दों को केंद्र से अलग प्रस्तुत करने का अवसर होता है। यदि एकसाथ चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों की छाया में दब सकते हैं। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों की स्वतंत्रता और स्थानीय जनता की प्राथमिकताओं के प्रतिनिधित्व की क्षमता कम हो सकती है।

तीसरा, संघीय ढाँचे में संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। आलोचकों का तर्क है कि यह व्यवस्था केंद्र की राजनीतिक शक्ति को और मजबूत बना सकती है, जिससे राज्यों की राजनीतिक विविधता और बहुलतावाद कमजोर पड़ सकता है।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" के क्रियान्वयन से संवैधानिक प्रावधानों में बड़े संशोधन की आवश्यकता होगी और यह संघीय ढाँचे तथा राज्यों की स्वायत्तता के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अतः इसे लागू करने से पहले व्यापक राजनीतिक सहमति और संवैधानिक सुरक्षा उपाय अनिवार्य होंगे।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" के क्रियान्वयन में सीमाएँ या चुनौतियाँ–

भारतीय राजनीति में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा चुनावी सुधार का महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है, किंतु इसके क्रियान्वयन में कई सीमाएँ और गंभीर चुनौतियाँ सामने आती हैं। इन चुनौतियों का विश्लेषण इस विचार की व्यवहारिकता को समझने में सहायक है।

1. संवैधानिक और विधायी चुनौतियाँ : सबसे बड़ी चुनौती संविधान में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। अनुच्छेद 83 और 172 लोकसभा व राज्य विधानसभाओं का पाँच वर्ष का कार्यकाल तय करते हैं। यदि किसी विधानसभा का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाए या लोकसभा समय से पहले भंग हो जाए, तो पूरे देश में चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं होगा। ऐसे में कार्यकाल घटाना या बढ़ाना पड़ेगा, जो संवैधानिक जटिलता और न्यायिक विवादों को जन्म दे सकता है।
2. संघीय ढाँचे और राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव : भारत का संविधान संघीय ढाँचे पर आधारित है जहाँ केंद्र और राज्यों को अलग–अलग अधिकार प्राप्त हैं। एकसाथ चुनाव होने पर राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता कमजोर हो सकती है। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि उनके स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श में दब जाएंगे और चुनाव में राष्ट्रीय दलों को अधिक लाभ मिलेगा।
3. राजनीतिक सहमति का अभाव : इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक है, लेकिन विपक्षी और क्षेत्रीय दल इसे केंद्र की सत्ता मजबूत करने वाला कदम मानते हैं। विभिन्न राज्यों की अलग–अलग राजनीतिक परिस्थितियाँ और हित इस सहमति को और कठिन बनाते हैं।
4. प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियाँ : भारत जैसे विशाल देश में एकसाथ चुनाव कराने के लिए लाखों अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होगी। 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल और चुनाव कर्मियों की तैनाती एक बड़ी चुनौती है।
5. मतदाता सहभागिता और जवाबदेही का प्रश्न : बार–बार चुनाव होने से सरकारें जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनी रहती हैं। यदि चुनाव केवल पाँच साल में एक बार होंगे तो सरकारों पर जनता का दबाव कम हो सकता है। इससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व कमजोर पड़ने का खतरा है।
6. मध्यावधि संकट की संभावना : यदि किसी राज्य सरकार का बहुमत खो जाए या लोकसभा बीच में भंग हो जाए, तो यह तय करना कठिन होगा कि केवल उस राज्य में चुनाव कराए जाएँ या पूरे देश में। यह स्थिति राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकती है।

इस प्रकार "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार चुनावी खर्च घटाने और संसाधनों की बचत के दृष्टिकोण से आकर्षक है, किंतु संवैधानिक संशोधनों की कठिनाइयाँ, संघीय ढाँचे पर असर, राजनीतिक सहमति का अभाव, तकनीकी व प्रशासनिक समस्याएँ तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रश्न इसे लागू करने में गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। जब तक इन सीमाओं के व्यावहारिक समाधान नहीं निकलते, तब तक इस अवधारणा का पूर्ण क्रियान्वयन अत्यंत कठिन है।

निष्कर्ष–

भारतीय राजनीति में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, किफायती और स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरता है। इसके माध्यम से चुनावी खर्च को नियंत्रित करने, प्रशासनिक संसाधनों के दोहराव को कम करने, आचार संहिता से प्रभावित होने वाले विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और मतदाता थकान को दूर करने जैसी कई संभावनाएँ दिखाई देती हैं। यह व्यवस्था दीर्घकालिक नीति–निर्माण और शासन की स्थिरता को भी बढ़ावा दे सकती है। किन्तु दूसरी ओर इसके क्रियान्वयन में गंभीर सीमाएँ और चुनौतियाँ मौजूद हैं। संविधान में व्यापक संशोधन की आवश्यकता, राज्यों की स्वायत्तता पर संभावित प्रभाव, राजनीतिक सहमति का अभाव, विशाल प्रशासनिक और तकनीकी कठिनाइयाँ तथा मध्यावधि संकट जैसी समस्याएँ इसे व्यवहारिक दृष्टि से जटिल बनाती हैं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार सैद्धांतिक रूप से आकर्षक और संभावनाओं से परिपूर्ण है, परंतु इसकी सफलता केंद्र और राज्यों के बीच सहमति, संवैधानिक प्रावधानों में आवश्यक संशोधन तथा संघीय ढाँचे की संवेदनशीलताओं को संतुलित करने पर ही निर्भर करेगी। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जा सके, तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक सुधार सिद्ध हो सकता है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Election Commission of India, 2020 Report on electoral expenditure and reforms New Delhi: Government of India.
2. Law Commission of India 2018, Simultaneous elections–Constitutional and legal perspectives New Delhi: Ministry of Law and Justice, Government of India-
3. NITI Aayog 2017- Discussion paper on simultaneous elections: A necessary reform in national interest- New Delhi: NITI Aayog, Government of India.
4. PRS Legislative Research- 2015- Analysis of simultaneous elections in India- New Delhi: PRS Legislative Research.
5. Sharma, A- 2021- Simultaneous elections in India: A critical analysis- Indian Journal of Public Administration.
6. Singh, P, (2019), One nation, one election: Prospects and challenges in Indian polity- Journal of Indian Political Studies, 12 (2), 45–62.
7. कुमार, आर. (2020). भारतीय लोकतंत्र और एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवहारिक चुनौतियाँ. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन।
8. नीति आयोग। (2017), एक साथ चुनावः राष्ट्रीय हित में आवश्यक सुधार, नई दिल्लीः भारत सरकार।
9. भारत निर्वाचन आयोग। (2018), भारत में चुनाव सुधार पर रिपोर्ट, नई दिल्लीः भारत सरकार।

Cite this Article-

'डॉ0 रवि कान्त शुक्ल', "भारतीय राजनीति में एक राष्ट्र, एक चुनाव : संभावनाएं एवं सीमाएं", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:07, July 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i700015

Published Date- 09 July 2025